सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 18, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 9, 2021 *Bhadra 18, Thursday, Saka 1943- September 9, 2021*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

संख्या एफ. 13(14)विशा/विस/2021 :-**राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021** जैसा कि दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2021 का विधेयक सं.14

राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अध्याय 2
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 43 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"43. भूमि का न्यास में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरीय क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नज़ूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन न्यास के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् न्यास को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगा और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगा और आबंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में उसका व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु न्यास किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई सुधार किये बिना या कराये बिना कर सकेगा; या

(ख) ऐसा सुधार किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार सुधार सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) न्यास के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का सुधार किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि न्यास में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगरपालिका द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगरपालिका या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, सौंप सकेगी।"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 60-ग का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 60-ख के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 8 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**60-ग. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.**- (1) कोई व्यक्ति जो न्यास की अधिकारिता के भीतर, न्यास द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी न्यास से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, न्यास ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार न्यास में निहित हो जायेंगे और न्यास, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन न्यास द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 3
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में संशोधन

4. 1982 के राजस्थान अधिनियम सं. 25 में नयी धारा 54-ङ का अंत:स्थापन.- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 25) की विद्यमान धारा 54-घ के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**54-ङ. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.**- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 4
जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 में नयी धारा 50-ख का अंत:स्थापन.- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 2) की विद्यमान धारा 50-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.**- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या

अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

अध्याय 5
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में संशोधन

6. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 68-क का अंत:स्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 68 के पश्चात् और विद्यमान धारा 69 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"68-क. भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट भूमि को और नगरपालिक क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नगरपालिका के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् नगरपालिका को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगी और उसका इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकेगी और उसका व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जैसाकि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगी जैसाकि वह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु नगरपालिका किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना कर सकेगी; या

(ख) ऐसा विकास किये जाने या कराये जाने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदाओं और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगी जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिरोपित करना समीचीन समझे।

(2) नगरपालिका के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि नगरपालिका में निहित किसी भूमि की किसी भी समय विकास प्राधिकरण या, यथास्थिति, नगर सुधार न्यास द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो ठीक समझी जायें, सौंप सकेगी।

(4) नगरपालिका द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और नगरपालिका को अंतरित समस्त भूमि का व्ययन नगरपालिका द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित की जाये।"।

7. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 69-क का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.**- (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

8. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 194 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 194 की उप-धारा (7) के विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) लिखित अनुज्ञा वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन भू-खण्ड के ऐसे क्षेत्र पर, जो नगरपालिका की सुसंगत भवन निर्माण उप-विधियों में विहित किया जाये, संनिर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो। अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और भवन निर्माण उप-विधियों में यथा विहित फीस जमा कराने के पश्चात् संनिर्माण कराया जा सकेगा। तथापि, यह उपबंध परकोटे वाले शहरी क्षेत्र/हेरिटेज क्षेत्र/निर्बंधित क्षेत्र, जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के अधीन पृथक् उप-विधियां/नियम विद्यमान हैं, को लागू नहीं होगा।"।

अध्याय 6

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में संशोधन

9. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 50-ख का अंत:स्थापन.- अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 39), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 50-क के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 9 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**50-ख. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.**- (1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा कोई गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

10. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धारा 89-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 89 के पश्चात् और विद्यमान धारा 90 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**89-क. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.**- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा

करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्धकर होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भू-धारक की समस्या का एक असामान्य पहलू यह है कि उसके पास भूमि या संपत्ति तो है किन्तु वह उन लाभों का उपभोग नहीं कर सकता जिनका पूर्ण स्वामित्व पट्टे का धारक सदैव उपभोग करता है। इसलिए, यह समीचीन समझा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो नगर सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर नगर सुधार न्यास या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है, वह न्यास या प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास या प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण करता है तो पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने का उपबंध करने वाली एक नयी धारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959; जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982; जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009; और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में यथोचित स्थान पर अन्त:स्थापित की जाये।

राज्य सरकार को ऐसी कई संसूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि अव्यावहारिक विनियम अफोर्डेबल आवासों की उपलब्धता को कम कर रहे हैं और इन विनियमों के कारण नगर सुधार न्यास विकास की स्कीम या योजनाएं बनाते समय अड़चनों का सामना करते हैं। यह सत्य है कि अव्यावहारिक विनियम, विकास योजना के लिए बड़े अवरोध बनते हैं। यह समझते हुए कि सरकार को अफोर्डेबल आवासों के निर्माण में सहायता करनी चाहिए, न कि उसमें बाधा डालनी चाहिए। इसलिए, नगर सुधार न्यास या नगरपालिकाओं को, उस भूमि के संबंध में, जो उनमें निहित है और जिसका व्ययन उनके द्वारा किया जाता है, सशक्त करने के लिए नगर सुधार अधिनियम, 1959 में विद्यमान धारा 43 प्रतिस्थापित की जा रही है। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में एक नयी धारा 68-क अंत:स्थापित की गई है।

एक धीमी और बोझिल अनुमति और अनुमोदन प्रणाली, नगरों में आवासों के विकास में बाधा बनती है। इसलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में धारा 194 की उप-धारा (7) के खण्ड (घ) का उपबंध, जो यह उपबंधित करता है कि जहां किसी व्यक्ति ने प्रथम तल तक एकल आवासीय इकाई के संनिर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और जहां क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर से कम है और भवन की प्रस्तावित ऊंचाई सड़क की सतह से 10 मीटर से अधिक नहीं है, वहां लिखित अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, एक बाधा प्रतीत होता है। इसलिए, 250 वर्ग मीटर और भवन की ऊंचाई के मानदण्ड को हटाकर, उक्त धारा के खण्ड (घ) के विद्यमान उपबंध को प्रतिस्थापित करके परिवर्तित किया जा रहा है। अब, लिखित अनुज्ञा केवल वहीं अपेक्षित होगी, जहां भूमि का क्षेत्र विद्यमान भवन निर्माण उप-विधियों में यथा विहित क्षेत्र से अधिक हो।

वर्तमान में, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में एक ऐसे उपबंध की कमी है जो पहले से ही अन्य विकास प्राधिकरण अधिनियमों में पहले से ही विद्यमान है और जो किसी आदेश या प्रस्ताव की विधिमान्यता और वास्तविकता की जांच करने के लिए अभिलेखों को मंगवाने का उपबंध करता है। इसलिए, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में एक नयी धारा 89-क अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अध्यधीन और वह रीति, जिससे भूमि का व्ययन किया जा सकेगा, अधिकथित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित विहित करने के लिए सशक्त करेगा,-

(i) वह रीति, जिससे गैर-कृषि भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का न्यास के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा;

(ii) पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने के लिए जमा की जाने वाली एकबारीय पट्टा राशि।

विधेयक का खण्ड 4, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित विहित करने के लिए सशक्त करेगा,-

(i) वह रीति, जिससे गैर-कृषि भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा;

(ii) पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने के लिए जमा की जाने वाली एकबारीय पट्टा राशि।

विधेयक का खण्ड 5, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित विहित करने के लिए सशक्त करेगा,-

(i) वह रीति, जिससे गैर-कृषि भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा;

(ii) पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने के लिए जमा की जाने वाली एकबारीय पट्टा राशि।

विधेयक का खण्ड 6, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अध्यधीन और वह रीति, जिससे भूमि का व्ययन किया जा सकेगा, अधिकथित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 7, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित विहित करने के लिए सशक्त करेगा,-

(i) वह रीति, जिससे गैर-कृषि भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा;

(ii) पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने के लिए जमा की जाने वाली एकबारीय पट्टा राशि।

विधेयक का खण्ड 9, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को निम्नलिखित विहित करने के लिए सशक्त करेगा,-

(i) वह रीति, जिससे गैर-कृषि भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा;

(ii) पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किये जाने के लिए जमा की जाने वाली एकबारीय पट्टा राशि।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No.14 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN LAWS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2021

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Laws (Second Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

CHAPTER-II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT ACT, 1959

2. Substitution of section 43, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing section 43 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

''43. Land to vest in the Trust and its disposal.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in urban area shall, immediately after establishment of the Trust under section 8 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Trust which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same by way of allotment, regularization or auction subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Trust may dispose of any such land-

(a) without undertaking or carrying out any improvement thereon; or

(b) after undertaking or carrying out such improvement as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing improvement according to plan.

(2) No improvement of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Trust.

(3) If any land vested in the Trust is required at any time by the Municipality, for carrying out its functions, or by the State Government for any other purpose, the State Government may, by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Municipality or any Department of the State Government on such terms and conditions as may be deemed fit.".

3. Insertion of new section 60-C, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 60-B and before the existing CHAPTER VIII of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"60-C. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Trust otherwise than under a lease or licence issued by the Trust may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Trust for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust, the Trust may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Trust under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Trust and the Trust shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Trust of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER-III

AMENDMENT IN THE JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 1982

4. Insertion of new section 54-E, Rajasthan Act No. 25 of 1982.- After the existing section 54-D and before the existing CHAPTER IX of the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982), the following new section shall be inserted, namely:-

"54-E. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights

and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER –IV

AMENDMENT IN THE JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2009

5. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 2 of 2009.-After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009), the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

CHAPTER-V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009

6. Insertion of new section 68-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 68 and before the existing section 69 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**68-A. Land to vest in the Municipality and its disposal.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act

No. 15 of 1956), the land as defined in section 103 of that Act, excluding land referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of the said section and Nazul land placed at the disposal of a local authority under section 102-A of that Act in municipal area shall, immediately after establishment of the Municipality under section 5 of this Act, be deemed to have been placed at the disposal of and vested in the Municipality which shall take over such land for and on behalf of the State Government and may use the same for the purposes of this Act, and may dispose of the same subject to such conditions and restrictions as the State Government may, from time to time, lay down and in such manner, as it may, from time to time, prescribe:

Provided that the Municipality may dispose of any such land-

(a) without undertaking or carrying out any development thereon; or

(b) after undertaking or carrying out such development as it thinks fit, to such person, in such manner and subject to such covenants and conditions, as it may consider expedient to impose for securing development according to plan.

(2) No development of any land shall be undertaken or carried out except by or under the control and supervision of the Municipality.

(3) If any land vested in the Municipality is required at any time by the Development Authority or the Urban Improvement Trust, as the case may be, for carrying out its functions, or by State Government for any other purpose, the State Government may by notification in the Official Gazette, place such land at the disposal of the Development Authority or the Urban Improvement Trust or any department of State Government, as the case may be, on such terms and condition as may deemed fit.

(4) All land acquired by the Municipality, or by the State Government and transferred to the Municipality, shall be disposed of by the Municipality in the same manner as may be prescribed for land in sub-section (1).".

7. Substitution of section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing section 69-A of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Municipality otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining free hold rights from the Municipality, the Municipality may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on lease hold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Municipality under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-sections (1) and (2).".

8. Amendment of section 194, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (d) of sub-section (7) of section 194 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(d) A written permission shall not be required where a person has submitted an application under sub-section (1) for construction on such area of the plot as may be prescribed in relevant building bye-laws of the Municipality. Construction can be undertaken after submitting the required documents and depositing the fee as prescribed in the building bye-laws. However, this provision shall not be applicable for walled city area/heritage area/restricted area for which separate bye-laws/rules are in existence under any relevant law for time being in force.".

CHAPTER-VI

AMENDMENT IN THE AJMER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2013

9. Insertion of new section 50-B, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 50-A and before the existing CHAPTER IX of the Ajmer Development Authority Act, 2013 (Act No. 39 of 2013), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"50-B. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of free hold patta.- (1) Any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of the Authority otherwise than under a lease or licence issued by the Authority may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta.

(2) Any person who holds any order or patta issued under any other law may also surrender his rights in such land in favour of the Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Authority, the Authority may accept such rights and may issue free hold patta. In case such land is on leasehold basis the free hold patta shall be issued on depositing one time lease money as may be prescribed.

(3) On acceptance of rights by the Authority under sub-sections (1) and (2), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Authority and the Authority shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue free hold patta to the holder of the said land.

(4) The free hold patta issued under sub-section (3) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Authority of the rights under sub-sections (1) and (2).".

10. Insertion of new section 89-A, Rajasthan Act No. 39 of 2013.- After the existing section 89 and before the existing section 90 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"89-A. Power to call for records.- (1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the

State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed , under this Act by the Authority or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Authority and on its officers and committees.".

_____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An uncommon aspect of problem of landholder is that he has land or property but he cannot enjoy the advantages which a holder of free hold patta always enjoys. Therefore, it is considered expedient that a new section providing for issuance of free hold patta if any person who holds non-agricultural land within the jurisdiction of Urban Improvement Trust or Development Authority otherwise than under a lease or licence issued by Urban Improvement Trust or Development Authority, surrenders his rights in such land in favour of the Trust or Authority for the purpose of obtaining free hold rights from the Trust or Authority, be inserted at suitable place in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959; Jaipur Development Authority Act, 1982; the Jodhpur Development Authority Act, 2009; and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

The State Government received several communications that unworkable regulations are reducing the availability of affordable housing and owing to these regulations Urban Improvement Trusts face impediments while making development schemes or plans. It is true that unworkable regulations constitute formidable barriers to development plan. Understanding that the Government should help, not hinder, the creation of affordable housing. Therefore, in order to empower Urban Improvement Trust or Municipalities in respect of the land which is vested therein and disposal of which is dealt by them, the existing section 43 is being substituted in Urban Improvement Act, 1959. Likewise, a new section 68-A is inserted in the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

A slow and burdensome permitting and approval system serves as an impediment to housing development in cities. So, the provision in clause (d) of sub-section (7) of section 194 in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 which provides that a written permission shall not be required where a person has submitted an application for construction of an individual single residential unit upto first floor and where an area is less than 250 square meters and proposed height of the building is not more than 10 meters from road level, seems to be hindrance. Therefore, the existing provision is being changed by substituting clause (d) of said section by removing criteria of 250 square meters and height of the building. Now, the written permission shall be required only where area of land is more than the area as prescribed in the existing building Bye-laws.

Presently, the Ajmer Development Authority Act, 2013 lacks a provision which already exists in other Development Authority Acts and that provides for calling the records to check the validity and genuineness of any order or proposal. Therefore, a new section 89-A is proposed to be inserted in the Ajmer Development Authority Act, 2013.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to lay down the conditions and restrictions subject to which, and the manner in which, land may be disposed of.

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe,-

(i) the manner in which any person holding non-agricultural land may surrender his rights in such land in favour of Trust;

(ii) one time lease money to be deposited for issuance of free hold patta.

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe,-

(i) the manner in which any person holding non-agricultural land may surrender his rights in such land in favour of the Authority;

(ii) one time lease money to be deposited for issuance of free hold patta.

Clause 5 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe,-

(i) the manner in which any person holding non-agricultural land may surrender his rights in such land in favour of the Authority;

(ii) one time lease money to be deposited for issuance of free hold patta.

Clause 6 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to lay down the conditions and restrictions subject to which, and the manner in which, land may be disposed of.

Clause 7 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe,-

(i) the manner in which any person holding non-agricultural land may surrender his rights in such land in favour of the Municipality;

(ii) one time lease money to be deposited for issuance of free hold patta.

Clause 9 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe,-

(i) the manner in which any person holding non-agricultural land may surrender his rights in such land in favour of the Authority;

(ii) one time lease money to be deposited for issuance of free hold patta.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, the Jaipur Development Authority Act, 1982, the Jodhpur Development Authority Act, 2009, the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and the Ajmer Development Authority Act, 2013.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.